न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः— सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्याः— 05/2025

प्रार्थीः—

नारायणराम पुत्र सांवलराम जाति कलबी निवासी करमावास तहसील समदडी जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगणः—

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार समदडी जिला बालोतरा
2. नेमाराम पुत्र राजूराम जाति कलबी चौधरी
3. पुनीदेवी पत्नी राजूराम जाति कलबी चौधरी
4. रमेश पुत्र राजूराम जाति कलबी चौधरी
5. सुकीदेवी पतनी सांवलराम जाति कलबी
6. केशरसिंह पुत्र उम्मेदसिंह जाति राजपूत

   निवासीगण करमावास तहसील समदडी जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :—

श्री कैलाशपुरी वकील प्रार्थी

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 18.12.2025

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 2 से 6 के हकपूर्वाधिकारी की खातेदारी का खेत खसरा संख्या 561/219 रकबा 11.08 बीघा अवस्थित है, जिसका बंटवाडा दिनांक 18.02.2021 को किये गया जिसके नये खसरा संख्या 1071/561, 1072/561, 1073/561, 1074/561 कायम हुए खसरा संख्या 1071/561 प्रार्थी के नाम, खसरा संख्या 1074/561 विप्रार्थी संख्या 6, खसरा संख्या 1073/561 विप्रार्थी संख्या 5 व खसरा संख्या 1072/581 विप्रार्थी संख्या 2 से 4 के हकपूर्वाधिकारी के नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित की गई, उक्त बंटवाडा का नामान्तरकरण संख्या 1822/25.02.2022 भरा गया जिसका इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में किया गया, उक्त नामान्तरकरण राजस्व रेकर्ड नक्शा में सही तरमीम किया गया था। तहसील समदडी को सेग्रीगेशन किये जाने के दौरान राजस्व कर्मचारियो द्वारा विवादित [illegible] नक्शा तरमीम करते वक्त राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी [illegible] अनुसार नक्शा परिशिष्ट "अ" अनुसार राजस्व रेकर्ड में तरमीम [illegible] थी, लेकिन नक्शा ट्रेस में तरमीम को इन्द्राज करते वक्त राजस्व कर्मचारि[illegible] द्वारा त्रुटिपूर्ण रूप से प्रार्थी[illegible] के संलग्न परिशिष्ट "ब" अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्शा दिया जिससे मौके पर विवाद हो गया जबकि मौके पर प्रार्थी का जमाबंदी में दर्ज अनुसार कब्जा काश्त हैं तथा जमाबंदी में भी हक अनुसार इन्द्राज है लेकिन नक्शा ट्रेस में त्रुटिवश सीमा से परे

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.04.09 17:38:19 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

जाकर नक्शा दर्ज कर दिया गया जो कि लिपिकीय त्रुटि की श्रेणी में आता है। मूल खसरा संख्या 516/219 रकबा 11.08 बीघा का विभाजन का नामान्तरकरण राजस्व रेकर्ड नक्शा में सही तरमीम की गई तथा मौके पर पक्षकारान का उसी अनुसार कब्जा काश्त है। प्रार्थी ने वास्तविक कब्जानुसार तरमीम दुरूस्त किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

तहसीलदार समदडी से मौका रिपोर्ट तलबी की। तहसीलदार समदडी ने जरिये पत्र कमांक–भू.अ./2025/40 दिनांक 19.09.2025 के द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसील समदडी के रिपोर्ट अनुसार ग्राम करमावास के मूल खसरा संया 561/219 के मूल खसरा का खातेदारो द्वारा आपसी सहमति से बंटवाडा किया गया जिसके नये खसरा नम्बर 1071/561, 1072/561, 1073/561 व 1074/561 बने तथा प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा "अ" अनुसार काबिज काश्त थे, लेकिन तहसील समदडी का सग्रीग्रेशन के दौरान प्रार्थी के वास्तविक कब्जा काश्त अनुसार तरमीम नहीं कर माफिक परिशिष्ट 'ब' अनुसार त्रुटिवश तरमीम कि गई जबकि कब्जा काश्त परिशिष्ट "अ" अनुसार है तथा उसी अनुसार राजस्व कर्मचारियो को तरमीम करनी चाहिए थी,त्रुटिवश तरमीम किये जाने से मौके पर खातेदारो के मध्य विवाद पैदा हो गया है तहसीलदार समदडी ने मौका रिपोर्ट में आगे अंकन किया है कि उक्त त्रुटिपूर्ण तरमीम को मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ट "अ" के अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित बताया है।

लिहाजा तहसीलदार समदडी के रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम करमावास तहसील समदडी की मूल खसरा संख्या 561/219 जिसके नये खसरा संख्या 1071/561, 1072/561, 1073/561 व 1074/561 की लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रेषित नक्शा परिशिष्ट 'अ' अनुसार दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित पत्रांक भू.अ./2025/40 दिनांक 19.09.2025 [illegible] नक्शा परिशिष्ट 'अ' इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

आदेश आज दिनांक 18.12.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.04.09 17:38:19 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O) सिवाना

Karmawas, Samdari Scale= 1"=80 Gatta

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.04.09 17:38.19 IST
Reason: SelfAttested